प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.05.2024

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा मारपीट करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.05.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया प्रिया राणा द्वारा तहरीर दुर्व्यवहार व मारपीट करने के सम्बन्ध में दी गई। जिसके आधार पर थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। दिनांक 25.05.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों 1-पुलकित उर्फ गोलू पुत्र कुशनवीर सिंह नि0 48 मानसरोवर पार्क लालकुँआ गाजियाबाद, उम्र 31 वर्ष 2-पप्पन उर्फ अच्छेलाल पुत्र जीतमल नि0 ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष 3-हितेश चौधरी पुत्र देवेन्द्र चौधरी नि0 इबोनी ग्रीन्स सारे होम्स थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 33 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

आज दिनांक 31.05.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट के आधार पर चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गगन पुत्र रतन निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को मातृ उमा मन्दिर के पास आदित्य वर्ल्ड सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त गगन ने बताया कि मैं मजदूरी करता हूँ तथा दिनांक 24.05.2024 को यह लड़की अपने साथी कर्मीयों के साथ हमारे यहाँ खबर रिपोर्टिंग करने के लिये आयी थी और रिपोर्टिंग कर रही थी तो मैंने व मेरे साथ वालों ने कहा कि वीडियो क्यों बना रहे हो तो उसी समय इसी बात को लेकर बहस हो गयी और जब मना करने के बाद भी वे लोग नही माने तो मैंने और मेरे साथ वालों ने उनके साथ मारपीट की थी तभी वे लोग वहाँ से चले गये थे। बाद में हमें पता चला कि ये लोग पुलिस के पास चले गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

गगन पुत्र रतन निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 25000/- रू0 का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.03.2024 को पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना विजयनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया।

अभियोग में कार्यवाही करते हुये गठित टीमों के अथक प्रयास एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 30.05.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग के वांछित/इनामिया अभियुक्त **विशाल** को **ABES कट के पास विजयनगर** से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

विशाल कुमार पुत्र शीशुपाल सिह निवासी म0न0 59 चरण सिह कालोनी प्रताप विहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर घटना को स्वीकार करते हुये गलती की माफी मांग रहा है और कुछ नही कह रहा है।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त विशाल पर – 01 अभियोग दुष्कर्म से सम्बन्धित , 01 अभियोग आदेशों के उल्लघन एवं गाली गलौज से सम्बन्धित कुल 02 अभियोग थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा दिनांक 30.05.2024 को सायंकालीन चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी कपिल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाड़ी गाजियाबाद को थाना निवाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 17.05.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

कपिल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाड़ी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाड़ी पर धोखाधड़ी व मारपीट के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना निवाड़ी पुलिस टीम